

I/276329/2025 ई0 80479/2024

143

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक

18. फरवरी, 2025

विषय :-

जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत 03 सोलर पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 5040/TAC/2024-25 दिनांक 23 नवम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित सोलर पम्पिंग पेयजल योजनाओं की विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षित कुल लागत ₹ 195.93 लाख में से सेंटेंज की धनराशि को कम करते हुए कुल ₹ 177.22 (₹ एक करोड़ सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 106.332 लाख (₹ एक करोड़ छः लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत (सेंटेंज रहित)	अवमुक्त धनराशि
01	जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत सन्न सोलर पम्पिंग पेयजल योजना।	67.95	40.77
02	जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत दिगरा मुनानी सोलर पम्पिंग पेयजल योजना।	48.35	29.01
03	जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत मरसोनी सोलर पम्पिंग पेयजल योजना।	60.92	36.552
कुल योग		177.22	106.332

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) योजनाओं के अन्तर्गत समस्त घटको/संरचनाओं की जी0आई0एस0 मैपिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(viii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(ix) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(xi) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनयुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण-00-53-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/201358/09(150)2019/XXVII(1)2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/275645/2024 दिनांक 14 फरवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

Signed by

Apurva Pandey

Date: 17-02-2025 17:27:56

(अपूर्वा पाण्डेय)

अपर सचिव।



उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी- ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून-248001.

दूरभाष :- 0135-2676260, फैक्स :- 0135-2676177,

पत्रांक 7/86 / वि०अनु० / 02 / शा०अनु०-276329(115) / 2024-25 दिनांक : 03/3/25

अधिशाली अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पिथौरागढ़।

कार्यालय
अधि० अभि०
उ०ज०स० पिथौरागढ़
पत्रांक...1098 दि० 25-3-25

विषय: जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत 03 सोलर पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं०-276329/2025-ई०- 80479/ 2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 18 फरवरी, 2025 से जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत सन्न, दिगरा मुनानी एवं मरसोनी सोलर पम्पिंग पेयजल योजनाओं की विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षित कुल लागत ₹ 195.93 लाख में से सेंटेंज की धनराशि को कम करते हुए ₹ 177.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 106.332 लाख (रु० एक करोड़ छः लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

आपको शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि टी०ए०सी० से परीक्षित प्राक्कलन की नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों, शर्तों एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का नियमानुसार अनुपालन करते हुए उपयोगिता समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:-शासनादेश की प्रति।

(मनीष सेमवाल)
सचिव(अप्रैजल)

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
3. टी०ए०सी० अनुभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून।

सचिव(अप्रैजल)